ग्रीन हाउस के वित्तपोषण की योजना :

उद्देश्य : ग्रीन हाउस / पॉली हाउस का निर्माण,उपकरणों / मशीनरी की खरीद, औजारों की खरीद एवं अन्य खर्चे, पोस्ट हार्वेस्ट संचालन एवं विपणन की आवश्यकता

पात्रता : ऋण सहायता उन्हीं प्रगतिशील किसानों को दी जा सकती है जो पहले ही आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं एवं जिन्हें ग्रीन-हाउस में अनुभव है/ प्रशिक्षण है अथवा उन किसानों को जिनके पास पहले से ही ग्रीन हाउस हैं ।

ऋण की प्रकृति एवं सीमा : आवश्यकतानुसार| ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए, उपकरणों की खरीद, मशीनरी आदि मध्यम अवधि ऋण, आदानों, श्रम की खरीद और फसल कटाई के बाद संचालन के लिए अल्पकालिक ऋण बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी जा सकती है।

चुकौती : 5-7 वर्ष | भुगतान की अवधि एक साल की या किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अनुसार हो सकती है ।